

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ ५८७ /2022.लखनऊ:दि0:अप्रैल, 01 ,2022  
--संशोधित आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अप्रैल-2022 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम मुख्यालय के आदेशांक-486/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा लखनऊ में दिनांक 04.04.2022 से 07.04.2022 तक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद की खण्ड पीठ गठित की गयी थी।

अपरिहार्य कारणवश उक्त युगल पीठ निम्न प्रकार संशोधित की जाती हैं-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1.	पीठ-फैजाबाद	पीठ-फैजाबाद	दिनांक 04.4.22 से 07.04.22 तक	श्री विनय सिंह, सदस्य, पीठ-1 लखनऊ  श्री बाबू लाल सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय लखनऊ।	न्यायिक  विभागीय

ह0/01.04.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ ५८७ /2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ, पीठ-फैजाबाद एवं श्री बाबू लाल, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय।
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से  


( तरुण कुमार )

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।